इन्क़िलाबी नज़र
आवाज़ ... आम आदमी की
लखनऊ, शनिवार, 23 मई 2026

जो व्यक्ति भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी , उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी।
-भगत सिंह

वर्ष 18 अंक 261 मूल्य 4-00 रुपया पृष्ठ-12

तापमान - अधिकतम 42.4°C (+2.2) न्यूनतम 28.8°C(+3.3) सेंसेक्स 75,415.35 (+231.99) निफ्टी 23,719.30 (+064.60) सोना 1,59,640 चांदी 2,85,000 मुद्रा - डालर 95.64 दिरहम 26.04 रियाल 25.50

एरा मेडिकल कालेज में हुआ जागरुकता कार्यक्रम

आयकर विभाग ने दी नये अधिनियमों की जानकारी

लखनऊ (ब्यूरो)। आयकर निदेशालय लखनऊ द्वारा गुरुवार को एरा लखनऊ मेडिकल कालेज में एक कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिनियम-2025 और आयकर नियम-2026 की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में लोगों को जनाकरी दी गयी। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम-2025 ने एक अप्रैल 2026 से पुराने आयकर अधिनियम-1961 का स्थान पर लागू किया गया है। वहीं आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी बनाना और अनुपालन के बोझ को कम करना है। यह कार्यक्रम आयकर निदेशक (आसूचना एवं अपराधिक अन्वेषण) एसएच उस्मानी के नेतृत्व में हुआ। निदेशालय के अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शमिल हुए।

आयकर निदेशक एसएच उस्मानी ने बताया कि इस कार्यक्रम को मकसद नये नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करना है। हमारा मकसद नए आयकर अधिनियम-2025 और आयकर नियम- 2026 के साथ-साथ निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन की समय पर फाइलिंग के महत्व को लोगों के सामने रखना था। ये फाइलिंग उच्च मूल्य लेन देन की निगरानी, कर अनुपालन में सुधार, कर चोरी पर अंकुश लगाने और दंड से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा समय पर लेन देन दाखिल करने से करदाताओं को अपने लेन देन का विवरण प्राप्त होता है, जिससे वे सही तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य यह है कि दंडात्मक कार्रवाई के बजाय जागरूकता के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जाये। रिपोर्टिंग संस्थाओं की राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी जिम्मेदारी कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती है। एसएच उस्मानी ने बताया कि नया आयकर अधिनियम उच्च मूल्य लेन-देन की रिपोर्टिंग से संबंधित कानूनी प्रावधानों में महत्वपूर्ण और सुधारात्मक बदलाव लाता है। इन सुधारों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना और अनुपालन को सरल बनाना है। इस मौके पर आयकर विभाग की वरिष्ठ अधिकारी सोनल सिंह, संयुक्त निदेशक अशोक कुमार विश्रांत, उप निदेशक नीरज श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी गौरव प्रकाश, चित्रसेन सिंह और एरा विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति डॉक्टर अब्बास अली महदी, डीन एमेरिटस डॉक्टर एमएमए फरीदी, प्रधानाचार्य डॉक्टर जमाल मसूद सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।